(2)

(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1273–एक/2009, विरूद्ध आदेश दिनांक 25–01–2007 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 65/अ–25/2005–06

.....

1–चंद्रपाल सिंह वल्द सत्यपाल सिंह ठाकुर
2–कृष्णपाल सिंह वल्द सत्यपाल सिंह
3–हंद्रपाल सिंह वल्द सत्यपाल सिंह
4–बृजपाल सिंह वल्द सत्यपाल सिंह,
सभी निवासी ग्राम ललई टोरी, तहसील व जिला सागर, (म0प्र0)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदक

.....

श्री के0एस0 निगम, अभिभाषक, आवेदकगण
अनावेदक शासन अनुपस्थित

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 18/3/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम ललईटोरी स्थिति विवादित भूमि खसरा नम्बर 99/2 रकबा 0.42 मय कुँआ मोहनलाल वल्द बलीराम पटेल व गनेशनाम वलद तुलसीराम से दिनांक 29.07.74 को रजिस्ट्री विक्रय पत्र द्वारा कर कब्जा प्राप्त कर लिया था एवं उक्त विवादित भूमि पर आवेदकगण का नाम दर्ज हो गया था। उक्त भूमि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सागर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 5/अ–25/1979–80 में पारित आदेश दिनांक 04.12.1979 के अनुसार शासन द्वारा उक्त विवादित भूमि राजसात कर राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई । इस आलोच्य आदेश की जानकारी होने पर उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सागर के समक्ष अपील दिनांक 22.07.1999 को प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 125/अ–25/1999–2000 पर दर्ज की जाकर पारित आदेश दिनांक 26.09.2005 द्वारा अपील निरस्त की गई । आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26.09.2005 से असंतुष्ट एवं परिवेदित होकर द्वितीय अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 65/अ–25/2005–06 पंजीबद्ध किया गया एवं आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को बलहीन एवं सारहीन मान कर निरस्त करते हुये अनुविभागीय अधिकारी सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.09.2005 स्थिर रखा है । अपर आयुक्त सागर के उक्त आदेश दिनांक 25.01.2007 के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि विवादित भूमि में आवेदकगण का निरन्तर मालिकाना कब्जा चला जा रहा है और आवेदकगण द्वारा विवादित भूमि से संबंधित डायवर्सन शुल्क वर्ष 2004 तक निरन्तर जमा किया गया है तथा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक तक का कोई भी डायवर्सन शुल्क आवेदकण के ऊपर बकाया नहीं था, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा बिना आवेदकगण की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये आलोच्य आदेश पारित किया है, दोनों अपील न्यायालयों द्वारा अनदेखा कर विचारण

न्यायालय के आदेश को यथावत रखे जाने में भूल की है । तर्क में यह भी बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर संहिता की धारा 41(7) व (8) में बनाये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। प्रकरण में यह निर्विवादित है कि तहसील न्यायालय का प्रकरण कमांक 5/अ–25/1979–80 आदेश दिनांक 04–12–1979 किसी भी स्तर पर अवलोकन हेतु उपलब्ध नहीं हुआ । आवेदक को उसके द्वारा मॉगी गई नकल भी प्राप्त नहीं हुई । ऐसी स्थिति में जबकि आवेदक के स्वत्व की भूमि को प्रथमदृष्टया शासकीय दर्ज किया गया हो तब आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर देने का उत्तरदायित्व शासन का बन जाता है । ऐसी स्थिति में उसकी प्रथम अपील को मात्र समय–सीमा के बिन्दु पर अग्राह्य करना आवेदक को प्राकृतिक न्याय के अधिकार से वंचित करता है । अनुविभागीय अधिकारी तथा अपर आयुक्त ने उक्त विधिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया है । फलतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26–09–2005 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 25–01–2007 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह आवेदक की अपील समय–सीमा में ग्राह्य कर गुणदोषों पर उसका निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर